



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

सिडको औद्योगिक परिसर, ओमपोरा, बडगाम -191111, जम्मू कश्मीर

National Institute of Fashion Technology

Ministry of Textiles, Govt. of India

SIDCO Industrial Complex, Ompora, Budgam-191111, J & K

16349/NIFT/Sgr/Admin/Standing Counsel/2020/2834

Dated: 05-02-2024

Expression of Interest (EOI) for Engagement of Standing Counsel

NIFT Srinagar invites CVs from desirous candidates for engagement of Standing Counsel on contract basis for a period of one year which can be extended on the basis of performance. Interested candidates may send their detailed CVs along with certificates of educational qualification & experiences on admin.srinagar@nift.ac.in by or before **20-02-2024 (05:30 PM)**

General Instructions

1. The applicant should have passed LLB final year Course.
2. The applicant should be eligible to appear before the High Court, J&K as an advocate
3. The applicant should have a minimum experience of five years of handling cases before High Courts, CATs or lower courts in Srinagar & Budgam.
4. All correspondence from institute including interview letter, if any, shall be sent only on the e- mail address provided by the applicant in the CV.
5. The applicant shall have to present themselves before competent authority (CA) or a Screening Committee framed by CA in order to access their capabilities with regard to specific requirements of NIFT Srinagar.
6. The decision of CA in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection, and conduct of Interview will be final and binding on candidates.
7. Fees/legal charges for case(s) assigned (if engaged) shall be as per the policy notified by Government of India Ministry of Law, Justice and Co. Affairs, Department of Legal Affairs from time to time.
8. Employees of Government Departments and/or PSUs/ Autonomous bodies under Government will be considered only if they submit NOC from the employer.
9. The engagement of panel shall normally be for a period of one year which can be extended on the basis of reports and performance.
10. NIFT Srinagar reserves the right to fill or not fill any /all the positions advertised or postpone the recruitment process of the same.
11. Scrutiny of the CVs will be done to ascertain the eligibility & suitability of the candidates and only shortlisted candidates will be considered/ called for the further selection process/ interview.



Assistant Director
NIFT Srinagar

kti

5/02/24



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

सिडको औद्योगिक परिसर, ओमपोरा, बडगाम -191111, जम्मू कश्मीर

National Institute of Fashion Technology

Ministry of Textiles, Govt. of India

SIDCO Industrial Complex, Ompora, Budgam-191111, J & K

16349/NIFT/Sgr/Admin/Standing Counsel/2020/2834

दिनांक: 05-02-2024

स्थायी वकील की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)।

निफ्ट श्रीनगर एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर स्थायी वकील की नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से सीवी आमंत्रित करता है जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता और अनुभव के प्रमाण पत्र के साथ अपना विस्तृत सीवी admin.srinagar@nift.ac.in पर 20-02-2024 (शाम 05:30 बजे) तक या उससे पहले भेज सकते हैं।

सामान्य निर्देश

1. आवेदक को एलएलबी अंतिम वर्ष पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. आवेदक एक वकील के रूप में उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर के समक्ष उपस्थित होने के लिए पात्र होना चाहिए।
3. आवेदक के पास उच्च न्यायालयों, सीएटी या श्रीनगर और बडगाम में निचली अदालतों के समक्ष मामलों को संभालने का न्यूनतम पांच साल का अनुभव होना चाहिए।
4. साक्षात्कार पत्र सहित संस्थान से सभी पत्राचार, यदि कोई हो, केवल आवेदक द्वारा सीवी में दिए गए ई-मेल पते पर भेजा जाएगा।
5. आवेदक को निफ्ट श्रीनगर की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपनी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीए) या सीए द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।
6. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका और साक्षात्कार के संचालन से संबंधित सभी मामलों में सीए का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।
7. सौंपे गए मामले (यदि लगे हुए हैं) के लिए शुल्क/कानूनी शुल्क भारत सरकार के कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नीति के अनुसार होंगे।
8. सरकारी विभागों और/या सरकार के अधीन पीएसयू/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वे नियोक्ता से एनओसी जमा करेंगे।
9. पैनल की नियुक्ति आम तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे रिपोर्ट और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
10. निफ्ट श्रीनगर के पास विज्ञापित किसी भी/सभी पदों को भरने या न भरने या उसकी भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
11. उम्मीदवारों की पात्रता और उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए सीवी की जांच की जाएगी और केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों पर ही आगे की चयन प्रक्रिया/साक्षात्कार के लिए विचार किया जाएगा/बुलाया जाएगा।

